

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(9) आयो.-1/सां./2011 पार्ट-।

जयपुर, दिनांक: 15 MAR 2018

-: सूचना :-

आयोजना विभाग द्वारा वर्ष 2016 में नियुक्त परीवीक्षाधीन सांख्यिकी अधिकारियों एवं उनके पदस्थापन कार्यालयों/विभागों को सूचित किया जाता है कि इन सांख्यिकी अधिकारियों का 2 वर्ष का परीवीक्षा काल सफलतापूर्वक एवं संतोषप्रद पूर्ण करने के पश्चात् संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-।) में सूचना प्रेषित करे, जिससे उनके वेतन नियमितिकरण के प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उक्त नियमितिकरण के लिये सांख्यिकी अधिकारियों की 2 वर्षों की वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एसीआर) विभाग में उपलब्ध होनी आवश्यक है।

संयुक्त शासन सचिव
आयोजना विभाग

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

(परिशिष्ट- I)

सांख्यिकी अधिकारी के पद पर दो वर्ष का परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर स्थाईकरण एवं नियमित वेतनमान स्वीकृति बाबत वांछित सूचना:-

1.	अधिकारी का नाम	
2.	मेरिट नम्बर	
3.	जन्म तिथि	
4.	पिता का नाम	
5.	पदनाम	
6.	सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	
7.	सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि	
8.	वर्तमान पदस्थापन स्थान	
9.	दो वर्ष का परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	

10. ऐसे सांख्यिकी अधिकारी जो पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत रहे हैं, एवं परीवीक्षा प्रशिक्षण काल में पूर्व के पद का वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया है, का परीवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने का तिथि को मूल वेतन.....

11. परीवीक्षाकाल में लिये गये असाधारण अवकाश का विवरण:-

क्र.स.	असाधारण अवकाश का विवरण		कुल दिवस	अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी	अवकाश स्वीकृति आदेश क्रमांक / दिनांक
	कब से	कब तक			
कुल योग					

(.....)

हस्ताक्षर सांख्यिकी अधिकारी

राजस्थान सरकार

क्रमांक

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीसांख्यिकी अधिकारी के पद पर दिनांकसे कार्यरत है। उपरोक्त विवरण सत्यापन अधिकारी के सेवा रिकार्ड से कर लिया गया है, जिसके अनुसार उक्त विवरण पूर्णतया सही है। श्री..... द्वारा परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में कुलदिवस का असाधारण अवकाश लिया गया है।

श्री..... सांख्यिकी अधिकारी द्वारा परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में की गई सेवायें एवं कार्य व्यवहार संतोषप्रद है एवं इनके विरुद्ध कोई जांच लम्बित एवं प्रस्तावित नहीं है। अतः परीवीक्षा प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान स्वीकृति किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

दिनांक

कार्यालयाध्यक्ष